

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों के लिये ओबीसी कोटा रद्द किया

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने [ओबीसी श्रेणी](#) के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को आरक्षण प्रदान करने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

- वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल पछिड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त) (रिक्तिथीं और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत **77 समुदायों (75 मुस्लिम समुदायों सहित)** को अधिनियम की **अनुसूची I** में शामिल किया गया था।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल पछिड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान करने के लक्ष्मिर्न “**एकमात्र**” आधार रहा है, जो **संवधान के अनुच्छेद 16 व पूर्व में न्यायालय द्वारा दिये गए आदेशों के तहत नषिद्धि है।**
- न्यायालय ने विशेष रूप से **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)** के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने स्थापित किया था कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिये **ओबीसी श्रेणियों की पहचान और पदनाम केवल धार्मिक संबद्धता के आधार पर नहीं हो सकता।**
- **अन्य राज्यों में भी समान धर्म-आधारित आरक्षण:**
 - **केरल:** अपने 30% ओबीसी कोटे के अंतर्गत 8% मुस्लिम कोटा प्रदान करता है।
 - **तमलिनाडु और बहिर:** अपने ओबीसी कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को भी शामिल करते हैं।
 - **कर्नाटक:** 32% ओबीसी कोटे के अंतर्गत मुसलमानों के लिये 4% उप-कोटा था।
 - **आंध्र प्रदेश:** पछिड़े मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण कोटा प्रदान करता है।

और पढ़ें: [आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिये आरक्षण का मुद्दा](#)